



भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India

Remittance Advice

अटैचमेंट कार्यवाही संख्या 15376 & 15377 of 2026

Attachment Proceeding No. 15376 & 15377 of 2026

रिकवरी सर्टिफिकेट नंबर 7418 of 2023/Recovery Certificate No. 7418 of 2023

प्रधान अधिकारी / अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / सीईओ

The Principal Officer / Chairman & Managing Director / CEO

भारत में सभी बैंक और म्यूचुअल फंड/All Banks and Mutual Funds in India

अटैचमेंट कार्यवाही संख्या 15376 और 15377 (वर्ष 2026) के तहत अटैच की गई राशि का प्रेषण /
Remittance of attached amount under Attachment proceeding no. 15376 & 15377 of
2026

1. रिकवरी ऑफिसर ने 19 दिसंबर, 2023 के रिकवरी सर्टिफिकेट नंबर 7418/2023 के तहत अटैचमेंट की कार्यवाही करते हुए, डेल्टा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के मामले में मिस्टर प्रेम चंद [डिफॉल्टर] (PAN: AXNPC3713G) के बैंक खातों को अटैच करने का निर्देश दिया था। यह कार्रवाई कुल बकाया राशि ₹1,73,500/- (एक लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ रुपये)(अतिरिक्त ब्याज, सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों आदि सहित), की वसूली के लिए की गई थी।	1. Recovery Officer vide the subject attachment proceedings in Recovery Certificate No. 7418 of 2023 dated December 19, 2023 had directed attachment of Bank accounts Mr. Prem Chand [Defaulters] PAN: AXNPC3713G in the matter of Delta Leasing & Finance Ltd. against the total due of Rs. 1,73,500/- (Rupees One Lakh Seventy-Three Thousand Five Hundred Only) (with further interest, all costs, charges & expenses, etc.)
2. डिफॉल्टर को 19 दिसंबर, 2023 को डिमांड नोटिस भेजा गया है और आपको 21 मई, 2026 को बैंक अकाउंट और म्यूचुअल फंड अटैचमेंट नोटिस जारी किया गया है।	2. Whereas Notice of Demand dated December 19, 2023 has been sent to Defaulter and Notice of Attachment of Bank Account and Mutual Funds dated May 21, 2026 has been issued to you.
3. SEBI द्वारा डिफॉल्टर से आज की तारीख तक वसूल की जाने वाली बकाया राशि/देनदारी ₹2,18,500/- (दो लाख अठारह हजार पाँच सौ रुपये मात्र) है।	3. And whereas, the current amount of dues/liability to be recovered from the Defaulter by SEBI as on date are amounting to Rs. 2,18,500/- (Rupees Two Lakh Eighteen Thousand & Five Hundred Only).
4. इसलिए, आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपने बैंक में डिफॉल्टर के खाते में मौजूद बकाया राशि के बराबर रकम / अपने म्यूचुअल फंड में डिफॉल्टर के फोलियो में मौजूद यूनिट्स को ऊपर पैरा 2 में बताई गई बकाया राशि तक भुनाएं (रिडीम करें) और उस रकम को तुरंत SEBI को	4. Accordingly, you are hereby directed to remit the amount in the account of the Defaulter with your Bank / in the folios held by the Defaulter with your Mutual Fund, to the extent of dues mentioned in para 3 above, lying in the account of the

“हम हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करते हैं।”

उत्तरी/प्रादेशिक कार्यालय : प्लेट-बी, आठवीं मंजिल, ऑफिस टॉवर-1, एन बी सी सी कॉम्प्लेक्स, पूर्व किदवाई नगर, नई दिल्ली-110023
Northern Regional Office : Plate-B, 8th Floor, Office Tower-1, NBCC Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023 दूरभाष (Phone) : 011 - 69012998

प्रधान कार्यालय: सेबी भवन, प्लॉट सं. सी-4 'अ', जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 दूरभाष (Phone) : 022 - 26449000
Head Office: SEBI Bhavan, Plot No. C-4A, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400051 Web. : www.sebi.gov.in





Continuation Sheet

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड Securities and Exchange Board of India

EFT/NEFT/RTGS के ज़रिए मुंबई में देय "SEBI Recovery Proceeds" खाते में (या) ICICI बैंक के खाता नंबर SEBIRRDDPI5435 (IFSC कोड - ICIC0000106) में 30 जून, 2026 तक भेजें और इस पेमेंट की जानकारी नीचे दिए गए फॉर्मेट में rekhav@sebi.gov.in और recoverynro@sebi.gov.in पर ईमेल से दें:		Defaulter(s) with your Bank/Mutual Fund, forthwith to SEBI by way of direct credit through EFT/NEFT/RTGS to A/c No. SEBIRRDPEN7418 of ICICI Bank, IFSC code - ICIC0000106) immediately and intimate these remittance details by email to rekhav@sebi.gov.in, rajank@sebi.gov.in and recoverynro@sebi.gov.in in the format given below:	
1. केस का नाम और रिकवरी सर्टिफिकेट नंबर :		1. Case Name and Recovery Certificate Number :	
2. पाने वाले का नाम :		2. Name of Payee :	
3. भुगतान की तारीख :		3. Date of Payment :	
4. भुगतान की गई राशि :		4. Amount Paid :	
5. ट्रांज़ैक्शन नंबर :		5. Transaction No. :	
6. उस बैंक की जानकारी जहाँ से भुगतान किया गया है :		6. Bank Details from which payment is made :	
5. यह निर्देश SEBI एक्ट, 1992 (जिसे सिक्योरिटीज लॉज़ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2014 द्वारा संशोधित किया गया है) की धारा 28A के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किया गया है। साथ ही, इसमें इनकम-टैक्स एक्ट 1961 (1961 का 43) की धारा 220 से 227, 228A, 229, 232, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और इनकम-टैक्स रूल्स के इनकम-टैक्स (सर्टिफिकेट प्रोसीडिंग्स) रूल्स, 1962 का भी पालन किया गया है।		5. This direction is issued in exercise of powers conferred under section 28A of the SEBI Act, 1992 as amended by the Securities Laws (Amendment) Act, 2014 r/w section 220 to 227, 228A, 229, 232, the Second and Third Schedules to the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) and the Income-tax (Certificate Proceedings) Rules, 1962 of the Income-tax Rules.	

नई दिल्ली में आज 24 जून, 2026 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया।
Given under my hand and seal at New Delhi this 24th day of June, 2026.

मुहर /SEAL



रिकवरी ऑफिसर /RECOVERY OFFICER

राजन कुमार / Rajan Kumar
वसूली अधिकारी एवं उप महाप्रबंधक
Recovery Officer & Deputy General Manager
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India
उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय / Northern Regional Office
नई दिल्ली / New Delhi